न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/85/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/303

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री हंसराम यादव पुत्र श्री मंगलराम,
नि0 ग्राम–कल्याणपुरा, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर
हाल नि. वार्ड नं.3, मु.पो. बनेठी,
तहसील–कोटपूतली, जिला–जयपुर–303105

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 12.07.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.08.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 08.04.2022 के माध्यम से तहसीलदार बहरोड के नियंत्रणाधीन कार्यरत पटवारियान श्री अमित कुमार यादव, श्री रामपतसिंह यादव एवं श्री मुनेश यादव के विरूद्ध की गई कार्यवाही संबंधी 01 लगायत 04 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन दिनांकः 08.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांकः लो.सू.अ./RTI/2022/1375 दिनांकः 08.06.22 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 1816 दिनांकः 21.07.22 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रेषित करते हुए प्रति अपीलार्थी एवं अन्य उच्चाधिकारीगण को भी प्रेषित की गई है।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 02 में सम्पूर्ण जॉच रिपोर्ट व बिन्दु सं. 04 में अपीलार्थी की शिकायत पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, कारण से अवगत कराने बाबत प्रश्न/आक्षेप कर सूचना चाही गई है।
8. निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/2/2008–आईआर दिनांकः 10.07.2008 एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प. 22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांकः 16.12.2011 के आलोक में लोक प्राधिकारी उनके क्षेत्राधीन/संधारित सूचना लोकहित में जारी किए जाने के लिए बाध्य हैं, ना की कार्य को पूर्ण कराते हुए कार्यवाही से सूचित किया जाने हेतु बाध्य हैं, साथ ही कारण से अवगत कराया जाना, क्यों वाले प्रश्नों का उत्तर देना, सूचना सृजित कर उपलब्ध कराया जाना उक्त अधिनियम अंतर्गत कवर नहीं होता है। इस प्रकार प्रश्नगत अपील में वांछित सूचना (बिन्दु सं. 02 व 4) देय नहीं है।
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
10. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. आज दिनांकः 01.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)